

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन के तहत राष्ट्रीय बधिरता रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीपीसीडी)

1. एनपीपीसीडी के तहत राष्ट्रीय परामर्शदाता की नियुक्ति (संविदात्मक आधार पर)

पद का नाम: राष्ट्रीय परामर्शदाता (2 पद)

योग्यता और अनुभव:

अनिवार्य

- सामुदायिक चिकित्सा / निवारक और सामाजिक चिकित्सा / सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन / एमपीएच / एमबीए स्वास्थ्य देखभाल प्रशासन में स्नातकोत्तर।

वांछनीय

- मुख्य रूप से गैर-संचारी रोगों में सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में कार्य करने का अनुभव

कार्य उत्तरदायित्व :

- कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना तैयार करना।
- तकनीकी दिशानिर्देश और प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना।
- एनपीपीसीडी के तहत बैठक का आयोजन करना और उसमें भाग लेना।

- एनपीपीसीडी गतिविधियों की निगरानी के लिए राज्यों और जिला का दौरा करना।
- आवश्यकता के अनुसार कार्यक्रम में सौंपे गए कोई अन्य कार्य।

आयु सीमा: 50 वर्षों तक और सेवानिवृत्त सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारी के लिए ऊपरी आयु सीमा 60 वर्ष निर्धारित की गई है।

कार्यकाल: एक वर्ष

परिलब्धियां : 60,000/- रुपए प्रति माह (समेकित)

स्थान: दिल्ली

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राष्ट्रीय बधिरता रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीपीसीडी) के तहत राष्ट्रीय परामर्शदाता के लिए नियम और शर्तें

1. राष्ट्रीय बधिरता रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए समग्रतक नीकी पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन (एनपीपीसीडी)।
2. एनपीपीसीडी के लिए राज्य पीआईपी की जांच करना और टिप्पणियां प्रदान करना।
3. एनपीपीसीडी से संबंधित एसएफसी / ईएफसी / ईपीसी / एमएसजी / मंत्रिमंडलीयनोट आदि तैयार करने में सहायता करना।
4. मंत्रिमंडलीय सचिवालय / पीएमओ / संसदीय समितियों / योजना आयोग आदि से प्राप्त वीआईपी संदर्भों के जवाब देने में सहायता करें।

5. एनपीपीसीडी के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सरकारी दौरे पर राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों का दौरा करना। दौरे की पात्रता इस विषय पर भारत सरकार के मौजूदा निर्देश के अनुसार होगा।
6. सौंपे गए किसी अन्य कार्य में मंत्रालय को सहायता प्रदान करना।
7. परामर्शदाता पर्यवेक्षक द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा।
8. सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी के मामले में, परिलब्धियां इस तरह से निर्धारित की जाएगी ताकि (अंतिम वेतन + दिया गया डीए) में से (मूल पेंशन) घटाने के बाद अधिक न हो। एक वर्ष पूरा होने पर समीक्षा के सफल समापन के बाद 5% की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की जाएगी।
9. उक्त पद की नियुक्ति प्रारंभ में प्रभार लेने की तिथि से एक (01) साल की अवधि के लिए होगी जिसे प्रभाग प्रमुख द्वारा साल में एक बार परामर्शदाता के निष्पादन की समीक्षा के उपरांत सेवा के संतोषजनक रूप से पूरा होने के बाद बढ़ाई जा सकती है जो दो साल से अधिक नहीं होगी।
10. परामर्शदाता समानुपातिक आधार पर कैलेंडर वर्ष में 8 दिनों की छुट्टी के लिए पात्र होगा। परामर्शदाता को वर्ष में 8 दिनों से अधिक की अनुपस्थिति (समानुपातिक आधार पर गणना) के मामले में कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। कैलेंडर वर्ष में नहीं लिए गए छुट्टी को अगले कैलेंडर वर्ष में नहीं ले जाया जा सकता है।
11. परामर्शदाता किसी भी अन्य भत्ते (डीए, परिवहन, आवासीय आवास, टेलीफोन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, व्यक्तिगत कर्मचारी इत्यादि) के लिए पात्र नहीं होगा।
12. मंत्रालय परामर्शदाता को 30 दिनों की पूर्व सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।
13. परामर्शदाता पद पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेगा।
14. समय-समय पर यथासंशोधित जीएफआर, 2017 के सभी अन्य प्रावधान लागू होंगे।
15. परामर्शदाता सभी सरकारी सूचना को कड़ी गोपनीय समझेगा तथा इसे केवल परामर्शी कार्य के रूप में उपयोग करेगा।



स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन , नई दिल्ली -110108
राष्ट्रीय वधिरता निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीपीसीडी)

संविदात्मक कर्मचारियों की भर्ती



आवेदन पत्र

केवल कार्यालय द्वारा भरा जाना है

पद का नाम _____

आवेदित पद _____

1. आवेदक का नाम : _____
2. पिता का नाम : _____
3. जन्म की तारीख : _____
4. 1/1/2019 को आयु: _____
5. लिंग: पुरुष/महिला : _____
6. शैक्षिक योग्यता : _____

क्र.सं.	शैक्षणिक /व्यावसायिक योग्यता	संस्था का नाम	बोर्ड / विश्वविद्यालय	पाठ्यक्रम की अधि उतीर्ण होने का वर्ष	डिवीजन / ग्रेड एवं %

7. अनुभव

क्र.सं.	पद	संस्था का नाम/नियोक्ता	कब से ----- कब तक-----	क्षेत्र का अनुभव	आहरित वेतन

8. प्रशिक्षण / लघु पाठ्यक्रम जिसमें भाग लिया:

9. संपर्क विवरण:

(क) पत्राचार का पता: _____

(ख) स्थायी पता: (निवास स्थान) _____

(मो.) _____

(ग) टेलीफोन नंबर: _____

(घ) ई-मेल आईडी: _____

10. संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज: स्व-प्रमाणित (निशान लगाएं)

(i) डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र ()

(ii) अनुभव प्रमाण-पत्र ()

(iii) आयु प्रमाण ()

11. शपथ पत्र :

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दी गई सभी सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सत्य हैं। यदि उपरोक्त मेरे से कोई भी जानकारी बाद के चरण में गलत पाई जाती है, तो मैं सेवा से अयोग्य/निष्कसित किए जाने के लिए उत्तरदायी हूंगा।

तारीख: _____

स्थान : _____

आवेदक के हस्ताक्षर